ग्राम पंचायत बाग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत बाग , विकास खण्ड बसन्तपुर , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान ०व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति नर्वदा भण्डारी	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्री सेवा दास वर्मा	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री यशवंत सिंह	25.7.2012 से 31.12.2013
2	श्री युगल किशोर	1.1.2014 से 24.7.2015
3	श्री यशवंत सिंह	25.7.2015 से 7.3.2016
4	श्री नितीश	8.3.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बाग के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)

1	5(क)	बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों में अन्तर	2.32
2	5(ग)(1)	राशि का दुर्विनियोजन	1.40
3	9	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.16
4	10	अनुदान का उपयोग न करना	6.47
5	11	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	2.97
6	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	4.20
7	14(ख)	नकद आय को सीधे व्यय करना	0.09
8	15(क)	अनियमित भुगतान	0.54
9	15(ख)	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.48

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बाग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं (सामान्य निधि के वर्ष 2013-14 के लेखों को छोड़कर जिसका निम्न वर्णित नोट में कारण स्पष्ट किया गया है) का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2016 से 19.10.2016 तक ग्राम पंचायत बाग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 11/2014, 3/2016 व 11/2013 , 3/2015, 12/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

नोट:- सचिव, ग्राम पंचायत, बाग द्वारा **परिशिष्ट-'क"** पर प्रमाणित/सूचित किया गया कि सामान्य निधि का वर्ष 2013-14 से संबन्धित मूल (Original) अभिलेख जैसे रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर , मापन पुस्तिका , रसीद बुकें , बिल/वाउचर , उपयोगिता प्रमाण पत्र , स्वीकृति पत्र व अन्य विविध अभिलेख विभिन्न जांच मामलों में जांच अधिकारी , पुलिस स्टेशन, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो , शिमला को भेजा गया है। अतः सामान्य निधि का वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा यह भी प्रमाणित/सूचित किया गया कि वॉटर शेड योजना के माह 10/2013 से संबन्धित पाँच मूल (Original) मस्ट्रोल भी जांच मामले में उक्त कार्यालय को भेजे गए हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बाग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 04 , दिनांक 19.10.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बाग से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत बाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) सामान्य निधि (स्व स्त्रोत व विविध अनुदान) :- ग्राम पंचायत बाग के अवधि 04/2014 से 03/2016 (वर्ष 2013-14 के लेखों को छोड़कर) की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **'परिशिष्ट-ख"** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही (सामान्य रोकड़ बही) में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का पूर्ण निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	170949.06	1611390	1782339	903611	878728.06
2015-16	878728.06	1362382	2241110	1638577	602533.06

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2014 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2014 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत बाग की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड योजना) की वित्तीय स्थिति का '**परिशिष्ट-ख"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	64142	847766	911908	910691	1217
2014-15	1217	1183688	1184905	1180810	4095
2015-16	4095	557742	561837	577334	-15497

वॉटर शेड:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	8792.58	213216	222008.58	188610	33398.58
2014-15	33398.58	230642	264040.58	57574.55	206466.03
2015-16	206466.03	170750	377216.03	317490	59726.03

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 **(क) बैंक समाधान विवरणी:-**

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹1,18,646.02 का अन्तर पाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 , दिनांक 17.10.2016 की अनुपालना

में ‘परिशिष्ट-ग” पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में ₹2,32,157.02 का संशोधित अन्तर पाया गया जिसका समाधान शेष था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के संशोधित अन्तर ₹2,32,157.02 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	विवरण		राशि (₹)
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		646762.09
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा-4(क)**	602533.06	
	(ii) मनरेगा- पैरा-**4(ख)**	-15497	
	(iii) वॉटर शेड- **पैरा-4(ख)**	59726.03	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-घ)**		765408.11
3	अन्तर		118646.02

(ख) अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		646762.09
	(-) सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-526	118646.02
	(-) सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ-8 पर दिनांक 29.11.2014 को जमा/प्राप्त दर्शाई गई राशि बैंक में जमा नहीं की गयी	-140000	
	(+) सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ-32 पर माह 12/2015 में कुल आय में से अधिक व्यय दर्शाया गया (आय 487790 - व्यय 491786)	3996	
	(+) हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक , शाखा सुन्नी (खाता संख्या: 7525) में सीधी प्राप्त राशि को सामान्य रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया (दिनांक 2.4.14 ₹7500+4.4.14 ₹22)	7522	
	(-) मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ-11 पर माह 3/2015 में कुल Online प्राप्ति में से कम व्यय दर्शाया गया (आय 986217 - व्यय 984295)	-1922	
	(+) मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ-18 पर माह 12/2015 में कुल Online प्राप्ति में से अधिक व्यय दर्शाया गया (आय 557727 -	17419	

	व्यय 575146)		
	(+) राशि जिसका समाधान नहीं किया गया	232157.02	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-घ)**		765408.11

(ग) (i) ₹1,40,000/- का दुर्विनियोजन:-

उपरोक्त पैरा-ख अनुसार सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ-8 पर दिनांक 29.11.2014 को ₹1,40,000/- जमा/प्राप्त दर्शाई गयी थी। परन्तु यह राशि अंकेक्षण की समाप्ति तक लगभग दो वर्ष के अन्तराल पर भी बैंक खाते में जमा नहीं पाई गयी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा भी इस बारे में कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त राशि का सीधा दुर्विनियोजन हुआ है। निदेशक, पंचायती राज विभाग , हिमाचल प्रदेश को यह गंभीर मामला आवश्यक जांच उपरांत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ii) उपरोक्त पैरा 4(ख) में दर्शाये गये शेष अन्तर के कारणो का लेखों में आवश्यक सुधार करके निपटारा सुनिश्चित किया जाये।

6 **(i) निवेश:-** सचिव ग्राम पंचायत बाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

(ii) ग्राम पंचायत के माध्यम से पशुपालन विभाग के नियुक्त पशु चिकित्सा सहायक श्री ललित कुमार द्वारा पंचायत के साथ अनुबन्ध की अनुपालना में **'परिशिष्ट-ङ'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹5,000/- निम्न विवरणानुसार सावधि जमा योजना में रखी गयी है जो सचिव , ग्राम पंचायत के नाम गिरवी (Pledged) है। यह राशि उक्त कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति पर वापिस की जाएगी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यह राशि (समय-2 पर प्राप्त ब्याज सहित) न तो रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति में दर्शाई गई है तथा न ही निवेश रजिस्टर में दर्ज की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति

स्पष्ट की जाये व अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

बैंक का नाम	**निवेश की तिथि**	**सावधि जमा संख्या**	**निवेशित राशि**	**ब्याज दर**	**परिपक्वता तिथि**	**अर्जित ब्याज**	**परिपक्वता राशि**
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	12.2.13	65161182460	5000	8.75%	12.3.16	1528	6528
	12.3.16 (पुनः निवेशित)	65161182460	6528	7.52%	12.4.19	1687 (प्राप्य)	8215 (प्राप्य)

7 **रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता-'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत में तीन रोकड़ बहियों (सामान्य , मनरेगा व वॉटर शेड) का निर्माण किया गया है तथा 5 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल

ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। मनरेगा व वॉटर शेड के निर्माण कार्यों से संबन्धित कुछ तकनीकी अभिलेख प्रस्तुत किया गया जो कि व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया था। उक्त तकनीकी अभिलेख के अभाव में चयनित मासों में व्यय की उचित जांच सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित "**परिशिष्ट-'च"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹16,000/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत : उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹6.47 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'ख"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹6,46,762.09 उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से

संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का पूर्ण निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता-'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों (विविध , मनरेगा व वॉटर शेड) की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 ₹2.97 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थायी व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। सचिव द्वारा एक पुराना भण्डार रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जो कि पूर्ण नहीं था। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय-2 पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया, कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी , जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में लाखों रूपये के स्थायी व अस्थाई स्टोर /स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹2,96,787/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट-'छ"** में दिया गया है, का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

12 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹4.20 लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-'ज"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹4,19,717/- के स्टोर/स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर /स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण सामग्री से ₹0.11 लाख के Voids की कटौती न करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'झ"** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹10,629/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

सामान्य निधि:-

14 (क) ₹0.50 के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को भुगतान बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार सामान्य निधि से चयनित मासों में ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों, चौकीदार व सिलाई अध्यापिका को निम्न विवरणानुसार ₹49,500/- का मानदेय/वेतन का भुगतान किया गया, परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज /अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था , जिस कारण मानदेय /वेतन के भुगतान की सही दरों की

पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रम सं०	विवरण	मानदेय/वेतन की अवधि	रोकड़ बही पृष्ठ	चयनित माह	राशि (₹)
1	मानदेय पंचगण	2/15 से 3/15	13	3/15	11800
2	वेतन चौकीदार श्री गीता राम	2/15 से 3/15	13	3/15	3700
3	भत्ता चौकीदार श्री गीता राम	2/15 से 3/15	13	3/15	300
4	मानदेय पंचगण	10/15 से 12/15	31	12/15	17700
5	वेतन चौकीदार श्री गीता राम	10/15 से 12/15	31	12/15	5550
6	भत्ता चौकीदार श्री गीता राम	10/15 से 12/15	31	12/15	450
7	मानदेय सिलाई अध्यापिका श्रीमति पुष्पा देवी	8/15 से 12/15	31	12/15	10000
			कुल		**49500**

(ख) ₹0.09 लाख नकद आय को सीधे व्यय करना:-

पंचायत द्वारा '**परिशिष्ट-ञ"** पर प्रस्तुत विवरण के अनुसार सामान्य रोकड़ बही में रसीदों से प्राप्त ₹9,242/- की समस्त नकद आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके सीधे व्यय किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट , लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः पाई गयी अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ग) ₹1,080 का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 12/2015 में सामान्य निधि से निम्न मस्ट्रोल द्वारा ₹1080/- की मजदूरी का रोकड़ बही पृष्ठ-31 पर दिनांक 28.12.2015 को अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

मस्ट्रोल संख्या	माह	कार्य का नाम	भुगतान जो देय बनता था (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)

30639	10/2015	ग्राम पंचायत बाग के सामुदायिक हॉल की मुरम्मत	29188	30268	1080

(घ) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार कई दिनों तक हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा ₹1,000/- से अधिक हस्तगत रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। अत : नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व छानबीन करके सुनिश्चित किया जाये कि पंचायत निधि का कहीं भी दुरुपयोग नहीं हुआ है अन्यथा नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृति न हो। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
1	7.6.14	2362
2	10.7.14	2527
3	24.8.14	41643
4	8.9.14	45565
5	24.9.14	45566
6	29.11.14	2640
7	8.12.14	5490
8	28.1.15	5657
9	9.6.15	49512
10	18.6.15	48512
11	29.8.15	3103
12	28.9.15	5881
13	28.10.15	9713
14	8.11.15	6607
15	25.11.15	6763
16	26.3.15	3314

मनरेगा:-

15 (क) ₹0.54 लाख का अनियमित भुगतान:-

चयनित माह 12/2015 में पाया गया कि मनरेगा निधि से निम्न वर्णित कार्यों हेतु रोकड़ बही पृष्ठ-16 व 17 पर 240 सीमेंट बैग की खरीद पर ₹227 प्रति बैग की दर से हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुन्नी को ₹54,480/- का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान का मूल (Original) बिल अभिलेख में संलग्न नहीं था। केवल Invoice बिल संख्या 1359707, दिनांक 9.12.2014 ही संलग्न पाया गया जिसमें 350 सीमेंट बैग की आपूर्ति हेतु ₹227 प्रति बैग की दर से कुल ₹79,450/- की राशि दर्शाई गयी थी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा यह भी सूचित किया गया कि शेष 110 सीमेंट बैग (350-240) का ₹227 प्रति बैग की दर से ₹24,970/ का भुगतान उक्त निगम को नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त निगम से मूल बिल प्राप्त किये बिना ₹54,480/- का भुगतान करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त राशि का मूल बिल प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	भूमि सुधार, पंदोआ (200 बैग @ ₹227 प्रति बैग)	45400
2	जल निकास, बथोरा (40 बैग @ ₹227 प्रति बैग)	9080
	कुल	54480

(ख) ₹0.48 लाख का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

चयनित मासों में मनरेगा निधि से संबन्धित व्यय का निम्न अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये:-

क्रम सं०	चयनित माह	रोकड़ बही पृष्ठ	रोकड़ बही दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	विवरण	मद	राशि (₹)
1	11/2013	92	8.11.13	-	एन०आई०सी० शिमला	For digital signature	790
2	11/2013	93	8.11.13	-	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुन्नी	60 सीमेंट बैग	12360
3	11/2013	93	8.11.13	-	-यथोपरि-	50 सीमेंट	10300

						बैग	
4	11/2013	93	8.11.13	-	-यथोपरि-	20 सीमेंट बैग	4120
5	11/2013	93	8.11.13	-	जोगिन्द्र गुप्ता , सुन्नी	सीमेंट ढुलान	3000
6	11/2013	93	8.11.13	-	-यथोपरि-	-यथोपरि-	2500
7	11/2013	93	8.11.13	-	-यथोपरि-	-यथोपरि-	757
8	12/2015	18	30.12.15	01/शून्य	निर्माण टैंक श्री हिरु राम	-	3400
9	12/2015	18	30.12.15	02/शून्य	-यथोपरि-	-	5890
10	12/2015	18	30.12.15	12/शून्य	-यथोपरि-	-	5000
						योग	48117

(ग) ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 12/2015 की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि से बिल संख्या 001, दिनांक 18.8.2014 द्वारा मैं० एच०के० टिम्बर , चाबा, सुन्नी को निम्न निर्माण कार्यों हेतु शटरिंग के किराये के रूप में ₹18,000/- का भुगतान देय था। परन्तु रोकड़ बही पृष्ठ-16 पर ₹21,500/- का सीधा ऑनलाइन भुगतान किया गया दर्शाया था। परिणामस्वरूप ₹3,500/- (21500-1800 0) का अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान किया गया। अतः पाई गयी अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली उपरान्त कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	निर्माण टैंक, श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी अणु	4000
		11200
2	निर्माण गौशाला, श्री खयाली राम, निवासी साल	6300
	कुल	21500

(घ) सीधे ऑनलाइन भुगतान को एक ही माह में लेखांकित करना:-

वर्ष 2014-15 के मध्य से मनरेगा निधि में अनुदानों की कोई भी राशि जमा/प्राप्त नहीं हुई है। मनरेगा कार्यों से संबन्धित विभिन्न भुगतान/व्यय पंचायती राज विभाग/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा सीधे ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में वर्ष 2014-15 व 2015-16 से संबन्धित समस्त

ऑनलाइन भुगतान निम्न विवरणानुसार एक ही माह में एक-मुश्त दर्ज किए गए थे जबकि इन्हें भुगतान की दिनांक के दृष्टिगत मासिक आधार पर लेखांकित किया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में मासिक आधार पर ही व्यय का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रम सं०	वर्ष	माह जिसमें भुगतान एक-मुशत लेखांकित किया गया	कुल वार्षिक ऑनलाइन भुगतान (₹)
1	2014-15	3/2015	984295
2	2015-16	12/2015	575146

16 रसीद बुकों बारे:-

(क) ₹4.14 लाख की प्राप्त राशि की रसीदें जारी न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट , लेखे , संपरीक्षा , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के प्रतिफल में रसीद जारी की जानी अपेक्षित था। चयनित मासों में अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹4,14,092/- की प्राप्त आय के प्रतिफल में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत : इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के प्रतिफल में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम सं०	**विवरण**	**रोकड़ बही दिनांक**	**रोकड़ बही अनुसार प्राप्त राशि (₹)**
1	ग्राम पंचायत ओगली से प्राप्त	29.11.2014	115000
2	जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त	29.11.2014	140000
3	14वें वित्त आयोग का अनुदान प्राप्त	31.3.2016	159092
		कुल	**414092**

(ख) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-3 पर रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करना अपेक्षित है।

परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आय के संग्रह हेतु उक्त रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आप त्तिजनक भी है। अतः पाई गयी त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व स्टॉक रजिस्टर का अविलम्ब रख-रखाव करके एक समय में एक ही रसीद बुक का प्रयोग किया जाये ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे।

17 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
3	खाता बहियाँ (Ledger Accounts) (खाता बहियाँ का पूर्ण रख -रखाव नहीं था)	7	29(1)
4	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर (केवल स्थायी स्टॉक रजिस्टर था जिसका पूर्ण रख -रखाव नहीं किया गया था)	25 व 26	72 (1) ए० एवं बी०
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
12	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति	31	95(1)

	का रजिस्टर		
13	निर्माण कार्यों का रजिस्टर (केवल मनरेगा का रजिस्टर था जिसका पूर्ण रख-रखाव नहीं किया गया था)		103

18 विविध:-

(क) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1,000/- से ऊपर का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार का अधिकतर भुगतान नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद /पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये। भविष्य में उक्त नियम की पूर्ण कृत अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से संबन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल /वाउचर पर अंकित किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अन्य त्रुटियाँ:-

(i) चयनित मासों में अधिकतर बिल/वाउचर/मस्ट्रोल इत्यादि को प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

(ii) कुछ मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

(iii) कुछ मस्ट्रोल में मस्ट्रोल संख्या व कार्य का नाम अंकित नहीं था।

(iii) बिल/वाउचर/मस्ट्रोल/रोकड़ बही में की गयी कटिंग इत्यादि को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त त्रुटियों के सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व इन्हें अब ठीक किया जाये। पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में लाखों रूपये का व्यय किया गया है जिसमें सुनिश्चित किया जाये कि उक्त त्रुटियों के दृष्टिगत कोई भी वित्तीय चूक नहीं हुई है। भविष्य में इन त्रुटियों की पुनरावृति न की जाये।

19 **लघु आपति विवरणिका :-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

20 **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता / –
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 41 / 2016–खण्ड–1 –1197–1200 दिनाँकः22.02.2017 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बाग, विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए

निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.